REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 10 | JULY - 2025

डॉ. अंबेडकर की पत्रकारिता की प्रभावकारिता के माध्यम से समाज में सामाजिक संकीर्णता को कम किये जाने के प्रयासों का समीक्षात्मक अध्ययन।

दिनेश कुमार[1] , डॉ. प्रथ्वी सेंगर[2] , प्रो. नरेन्द्र कुमार मिश्र[3]
[1]रिसर्च स्कॉलर, आई. आई. एम. टी., विश्वविद्यालय, मेरठ.
[2]स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड टेलीविजन, आई. आई. एम. टी., विश्वविद्यालय मेरठ.
[3]स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड टेलीविजन, आई. आई. एम. टी., विश्वविद्यालय मेरठ.

सारांश

किसी भी काल की तत्कालीन परिस्थितियॉ किसी भी व्यक्ति के विचारों को अवश्य प्रभावित करती हैं, ऐसे ही डॉ. अंबेडकर के विचारों पर भी तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से शोधार्थी ने पाया कि डॉ. अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि लाखों शोषित व्यक्तियों के मसीहा थे। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अपने अति आधुनिक और मूल्यवान क्रांतिकारी विचारों को समाज के समक्ष रखा, और इस शस्त्र से अनेकों रूढ़ियों के विरूद्ध समाज की उन्नति के लिये पत्रकारिता व समाचार पत्रों को सबसे अच्छा माध्यम बताया। उन्होंने माना था कि समाज की सच्चाई सामने लाने के लिये समाचार पत्रों से ज्यादा प्रभावशाली कोई माध्यम अथवा साधन नहीं है। डॉ. अंबेडकर ने अपनी पत्रकारिता व समाचार पत्रों को धनार्जन को माध्यम नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तन हेतु ही पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। एक पत्रकार के रूप में उनका लेखन व आचरण पत्रकार व पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिये एक आदर्श है। एक पत्रकार के रूप में ही उनकी पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन का वाहक बन सकी। इसीलिये आज भी उनकी भूमिका एक पत्रकार के रूप में शाश्वत रूप से प्रासंगिक है। एक पत्रकार के रूप में यदि उनकी भूमिका को महती रूप से देखा जाये तो अनेकों बिंदूओं के आधार पर सामाजिक चेतना लाने में उनकी पत्रकारिता की भूमिका को स्पष्ट किया जा सकता है।

मुख्य शब्द : बहुमुखी, चेतना, महती, शाश्वत, विशिष्ट, वाहक, पत्रकारिता आदि।

प्रस्तावना

महान विद्वान एवं उच्च कोटि के समाज सुधारक एवं सविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत की बीसवीं सदी की एक विशिष्ट विभूति थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर एक महान भारतीय विद्वान, राजनेता, और समाज सुधारक थे। उनका जीवन एक साधारण परिवार में शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के

बल पर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया। डॉ. आंबेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1920 के दशक में की। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के पहले कानून मंत्री बने। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के बाद, उन्हें भारत रत्न पुरूस्कार से भी सम्मानित किया गया। डा0 अम्बेडकर ने भारत में फैली विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। डॉ. अम्बेडकर आजीवन समाज सेवा का कार्य कड़ी लगन व मेहनत से करते रहे। डॉ. अम्बेडकर ने कई दशकों तक पत्रकार के रुप मे कार्य करने के साथ–साथ कई समाचार पत्रों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य भी किया। उस समय जब भारत में पत्रकारिता अपने शैशव काल में थी, तब भारतीय पत्रकारिता को मिशनरी पत्रकारिता के रुप में भी जाना जाता था। उस समय पत्रकारिता एक मिशन होने के बावजूद इसमें सवर्ण पत्रकारिता का बोलबाला था, और उसमें हिन्दू व्यवस्था समर्थित पत्रकारिता, स्वतंत्रता आदोंलन की मिशनरी पत्रकारिता की आड़ में अपने हितों का समर्थन कर रही थी, उसी समय डा. अम्बेडकर ने पत्रकारिता की नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत किया था। डॉ. अम्बेडकर ने जिन समाचार पत्रों का प्रकाशन अथवा संपादन किया, वे पत्र अपने समय में अछूत वर्ग एवम् खुली मानसिकता वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रों मे माने गये हैं। डॉ. अम्बेडकर एक पत्रकारीय चेतना के उज्जवल प्रतिमान के रुप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी वैकल्पकीय पत्रकारिता की सरोकारीय चेतना से जनमानस को लाभान्वित ही नहीं किया बल्कि उनकी पत्रकारिता, व्यक्तित्व और कृतित्व से अविच्छिन्न रुप से जुडी रही। वास्तव में पत्रकारिता का अभ्युदय ही सामाजिक संघर्ष से हुआ है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में डॉ. अम्बेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉ. अम्बेडकर ने अछूत समाज के विकास को ध्यान में रखते हुये अछूत दंश की मुक्ति के लिये सेवाभाव से पत्रकारिता को औजार बनाकर अपने एवं समाज के विचारों को आगे बढाया और समाज की भलाई के लिये इस माध्यम का पुरजोर इस्तेमाल किया था। पत्रकारिता में भी दलित वर्ग का अपना एक अलग स्थान रहा है तथा दलित वर्ग ने भी पत्रकारिता के माध्यम से अपने विभिन्न लक्ष्यों को पूरा किया है।

डॉ. अंबेडकर की पत्रकारिता का लक्ष्य रहा है– दलित वर्ग की विभिन्न समस्याओं से लडना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दलित वर्ग ने भी उनकी पत्रकारिता में पूरा सहयोग दिया था, जिसके परिणामस्वरुप दलित पत्रकारिता ने आज अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। डॉ. अम्बेडकर "वर्ण पत्रकारिता को "पंसारी की दुकान" कहते थे तथा समाज को लूटने और युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिये इन्हें समाज के अपराधी मानते थे। डॉ. अम्बेडकर का मानना था– वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना। समाजवाद के बिना आर्थिक मुक्ति संभव नहीं, ऐसा डॉ. अंबेडकर का मानना था। डॉ. अम्बेडकर का कहना था– "समाज को श्रेणीविहीन और वर्णविहीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे लोग दरिद्र माने गये और जो कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते थे।" इस प्रकार डा0 अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में अछूत समाज को एक नये उभार के रुप में जन्म दिया। इस अध्ययन में अध्ययनकर्त्ता ने डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारिता की वैकल्पिकीय दृष्टि का अध्ययन किया है। उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी दशकों में जब भारतीय पत्रकारिता और समाज, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता और फिरंगियों की बदले की बर्बर कार्यवाही से उपजी निराशा और हताशा से उबर गये थे। तब हिन्दी पत्रकारिता बीसवीं सदी में प्रवेश कर चुकी थी। वर्ष 1920 में हिन्दी पत्रकारिता का आदर्श युग माना जाता है। 31 जनवरी को भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से "मूकनायक" की शुरुआत की। संपादक पांडुरंग नंदूराम थे। इस प्रकार मूकनायक के प्रवेशांक में ही डॉ. अम्बेडकर जी ने पत्रकारिता के नये मंतव्य को जाहिर कर दिया था। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान करने की पुरजोर कोशिश के लिये लेखन कार्य जारी रखा, लेकिन हिन्दू व्यवस्था से उपजी विसंगतियों पर जितना तेज प्रहार इनके पत्रों का था उतना शायद किसी पत्र का नहीं था। 3 अप्रैल, 1927 के "बहिष्कृत भारत" का संपादन डॉ. अम्बेडकर जी के द्वारा काफी समय तक किया गया। इस पत्र में सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, धार्मिक अनेक पहलुओं पर केंद्रण किया

गया। "अंबेडकर की पत्रकारिता धनार्जन का धंधा नहीं थी, उसका एक निश्चित उद्देश्य था।" यह पत्र उस समय के निकलने वाले हिन्दू व्यवस्था के समर्थन व ब्राहम्णवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाली विचारयुक्त पत्रकारिता से बिल्कुल अलग था उनमें एक वैकल्पिकीय पत्रकारिता सरीखी धार थी। हमेशा उनकी पत्रकारिता में अस्पृश्य ही केंद्र में रहते थे। उनका मानना था कि ब्राहम्णेतर समाज का उत्थान करना ही पत्रकारिता का मुख्य ध्येय होना चाहिये। "बहिष्कृत भारत" के 34 अंक प्रकाशित हुये थे, इनमें डा0 अम्बेडकर के 145 लेख प्रकाशित हुये थे। डॉ. अम्बेडकर एक सरोकारीय वैकल्पिक पत्रकारिता के विभिन्न फलकों को स्मरणीय रखते थे ताकि उनकी पत्रकारिता की साख धूमिल न होने पाये। " डॉ. अम्बेडकर की टिप्पणियों का स्तर ऊंचा होता था। उनमें अपशब्द या हल्के शब्द नहीं होते थे और उनके लेखन में सदैव पत्रकारिता की वैकल्पिकीय चेतना को प्रतिष्ठित किया जाता रहा। उनके लेखन में "दलित व्यथा, सामाजिक न्याय अधिकारों की उहापोह और उसका स्वरुप" संपादकीय लेखों के अलावा भालागार से बहस, मनुस्मृति दहन आदि पर अनेक स्फुटित लेख थे। डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता को एक अलग दृष्टि से देखने से पता चलता है कि उसमें व्यवस्था के विकल्प का पुरजोर से पक्ष लिया गया था। वैकल्पिक पत्रकारिता का आशय एक ऐसी पत्रकारिता से है जिसमे स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करती है, डॉ. अम्बेडकर की पत्रकारिता का स्तर ऐसा ही था इसीलिये उनकी पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता कहा गया।

बाबा साहब अंबेडकर के त्याग को किसी भी युग में भुलाना असंभव है। बाबा साहब की गहन सोच गरीबों, दलितों व पिछड़ों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के साथ साथ देश को संगठित और सशक्त करने का एक विराट चिंतन थी। उनका दर्शन करूणा पर आधारित था। उन्होनें जन्म आधारित वर्णव्यवस्था का विरोध किया। अपने मानववादी दर्शन के आधार पर युग की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल धर्म, न्याय एवम् नैतिकता की अवधारणाओं को दृष्टि में रखकर ही बाबा साहब अंबेडकर ने विभिन्न विचारों का खण्डन मण्डन किया है। उनके विचारों में हमें वंचित समाज को उनके अधिकारों को दिलाने का रास्ता प्रशस्त होता है। अंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक मुद्दों को प्रमुख रूप से उजागर करने में पत्रकारिता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनियों तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का एक बेहतरीन माध्यम है अतः डॉ. अंबेडकर ने पत्रकारिता को सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का उत्तम और प्रभावी साधन माना। चूंकि उन्होंने जीवन की स्वभाविक गति को अवरूद्ध करने वाले तत्वों का जीवन भर विरोध किया था अतः यह सोचकर शोधार्थी ने बाबा अंबेडकर के समता मूलक समाज हेतु किये गये प्रयासों से संबधित प्रकरण को अपने शोध कार्य हेतु चयनित किया है।

अध्ययन की प्रासंगिकता :

डॉ. अंबेडकर ने महाराष्ट्र में अनेकों समाज सुधारकों व राजनीतिक नेताओं की तरह पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। उन्होनें यह मान लिया था कि पत्र पत्रिकायें सामाजिक चेतना के हथियार हैं। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन लाने के लिये समाज की मानसिकता को भी अनुकूल होना चाहिये। उन्होनें सांस्कृतिक सच्चाई को व्यक्त करने के लिये अपनी कलम को तेज किया और राजनैतिक सच्चाई की खोज करते समय सभी राजनीतिक पहलुओं का और आंतरिक तथा बाहरी परिणामों का गहराई से विश्लेषण किया। उनके सभी आंदोलनों के पीछे अपनी मुक्ति का अपनी स्वतंत्रता का विचार पाया गया। डॉ. अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्री के साथ साथ एक कानूनविद् भी थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी भूमिका एक समाज चिंतक की थी। यह बात उनके मराठी समाचार पत्रों को देखने के बाद समझ में आती है। उन्होनें अपने एक भाषण में कहा था कि मेरा सामाजिक दर्शन तीन शब्दों में समाया हुआ है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। उन्होनें अपने दर्शन की बुनियाद धम्म को बताया है राजनीतिक शास्त्र को नहीं। डॉ. अंबेडकर एक ऐसे महापुरूष और मार्गदर्शक हुये हैं जो अपने समय से आगे की सोच रखते थे, इसीलिये उन्होनें अपने जीवन में सभी अहितकारी परम्पराओं पर, धार्मिक अहंकारों पर और मिथ्या देशभक्ति पर प्रहार किये हैं। वर्तमान समय में डॉ. अंबेडकर के विचारों और उन पर अध्ययन की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्होनें जीवन भर मानवीय अधिकारों के साथ समतामूलक समाज की स्थापना के लिये संघर्ष किया। उन्होनें कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति देखनी हो तो यह देखो उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। वे समाज

के विकास का पैमाना महिलाओं के विकास को मानते थे। उन्होनें अपनी लेखनी मराठी पत्रिका मूकनायक जो कि 1920 में आरंभ की गई थी, से माना जाता है। इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होनें उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी, तथा विभिन्न रूढ़ियों की गुलामी से मुक्त कराने का प्रयास किया। 20वीं सदी के प्रांरभ में महाराष्ट्र से अग्रेंजी शासन काल में अखबारों के माध्यम से आरंभ हो गया था। बाबा साहब अंबेडकर की पत्रकारिता का उदय भी इसी काल में हुआ था। जिस प्रकार से उस समय स्वराज्य का आंदोलन अपने उफान पर था, उसी तरह सामाजिक संरचना को पुर्नगठित करने के उद्देश्यों से महाराष्ट्र के कुछ अखबारों ने अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकारा और अपनी गतिविधियां आरंभ की थीं। डॉ. अंबेडकर ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से न सिर्फ भारतीय वंचित लोगों के सवालों को उठाया, बल्कि उन्हें सुलझाने का प्रयास भी किया था।

डॉ. अंबेडकर एवम् उनके आदर्श समाज का स्वरूप :

भारत के समाज सुधारकों को दो भागों में बांटा जा सकता है – एक वर्ग वह जो कि मूल समाज की वर्ण व्यवस्था में बदलाव चाहता था और जिसका मानना था कि यह व्यवस्था समय के साथ बदल जानी चाहिये। जबकि दूसरा वर्ग पहली वाली व्यवस्था को कायम रखते हुये समाज में सुधार चाहता था। डॉ. अंबेडकर ने इस संबंध में वर्णवाद के प्रतिरोध में जो तर्क दिये और कार्य किया, वह अन्य समाज सुधारकों से भिन्न था। वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भिक रूप कुछ भी हो, कालान्तर में वह जन्म पर आधारित हो गई। हम जानते हैं कि व्यक्ति, समाज में जो देखता है, वह उसी पर चिंतन करके अपना दृष्टिकोण समाज के सामने प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज के बारे में भारतीय समाज सुधारकों ने भी इसी प्रकार चिंतन करके अपना दर्शन विकसित किया है। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि यह जो वर्णभेद समाज में व्याप्त है, इसका पूर्ण रूप से अस्तित्व मिटे बिना इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार इस वर्णभेद ने सार्वजनिक भावना को आहत किया है। उन्होंने महिला अधिकार की आवश्यकता को भी समझा। चूंकि डा0 अंबेडकर को महिलाओं की उन्नति का प्रबल पक्षधर माना जाता है, अतः उनका विचार था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? संसार में आधी आबादी महिलाओं से है इसलिये जब तक उनका चहुंमुखी विकास नहीं हो जाता तब तक कोई भी समाज या देश अपना विकास नहीं कर सकता। डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को दिलाने के लिये उन्हें संगठित करने के लिये उनका निरन्तर उत्साहवर्धन किया और कहा कि महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। संविधान में सभी को बराबर का हक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि 1947 में आजादी मिलने के साथ ही महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होना आरम्भ होने लगा था। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में महिला सशक्तीकरण के लिये उनके द्वारा अनेकों कदम उठाये गये थे। सन् 1951 में उन्होंने "हिंदू कोड बिल" संसद में पेश किया था। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आयेगा, जब महिलाओं को पैत्रक संपति में बराबरी के हिस्से की बात की जायेगी, और समान अधिकार दिये जायेगें। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। इसके साथ साथ डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं को शिक्षा की महत्ता समझाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये भी निरन्तर प्रेरित किया। उनका मानना था कि अगर महिलायें शिक्षित होंगी तो वे समाज में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। डॉ. अंबेडकर का यह स्पष्ट विचार था कि समाज में समानता तब संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उनके योगदान और संघर्ष ने भारत में सामाजिक न्याय की नींव रखी।

शिक्षा में आरक्षण एवम् उनका सामाजिक न्याय

डॉ. अंबेडकर ने दलितों के लिये विशेष रूप से शिक्षा में आरक्षण की वकालत की ताकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से दलितों को समान अवसर मिल सकें। इसके अतिरिक्त डॉ. अंबेडकर ने दलितों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के लिये भी आरक्षण की वकालत कीं उनका मानना था कि जब तक राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। डॉ. अंबेडकर ने आरक्षण को स्थायी समाधान नहीं माना था बल्कि इसको उन्होंने इसको एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा।

इसी क्रम में डॉ. अंबेडकर ने 1932 में 'चौरा आंदोलन' और पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों के लिये आरक्षण की मांग उठाई। यह समझौता ब्रिटिश सरकार के साथ हुआ था और इसके अंतर्गत अंबेडकर ने दलितों के लिये अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। दलितों को अलग निर्वाचक मंडल के कारण संविधान में आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ। इस समझोते के बाद ही संविधान सभा में दलितों के लिये आरक्षण की बात की गई। आर्टिकल 16 के माध्यम से डॉ. अंबेडकर ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया था। डा0 अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 को भी डाला ताकि अछूतता का उन्मूलन हो सके। डॉ. अंबेडकर ने यह भी सुनिश्चित किया कि दलितों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। उन्होनें आरक्षण को राजनैतिक अधिकारों तक विस्तारित किया ताकि दलित समाज की आवाज को संसद और विधानसभा में उचित स्थान मिल सके।

डॉ. अम्बेडकर ने बताया कि समाजिक न्याय वह न्याय है जो मानव से सम्बन्धित ऐसे आदर्शो को निर्धारित करता है जिनके पालन से कुटुम्ब, समाज एवं राज्य का अस्तित्व बना रहता है। यदि सामाजिक न्याय के इतिहास पर विचार किया जाये तो ऐसा ज्ञात होगा कि समाज द्वारा सामाजिक समस्याओं, अन्यायों के निराकरण हेतू कुछ आदर्श तथा नियमों का निर्धारण किया गया होगा, जिनसे सभी लोगों के हितों की सुरक्षा हो सके और कमजोर वर्गो को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकें। सामाजिक–न्याय एक आदर्शमूलक अध्ययन है उसमें सामाजिक स्थिति तथा न्याय व्यवस्था का मूल्यांकन किसी मानक या आदर्श के दृष्टिकोण से किया जाता है। आदर्शमूलक अध्ययन होने के नाते सामाजिक–न्याय के अन्तर्गत हम यह निर्णय भी करते हैं कि क्या उचित है अथवा क्या अनुचित है। क्योंकि उसका सम्बंध नैतिकता से भी होता है। अतः सामाजिक–न्याय विवरणात्मक अध्ययनो की तुलना मे एक आदर्शमूलक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी नागरिको को प्राथमिकता देकर न्यायसंगत एंव सम्मानजनक जीवनयापन के अवसर सुलभ कराना है। प्रस्तुत शोध के अध्ययन का उद्देश्य अम्बेडकर की भूमिका को स्पष्ट करके सामाजिक–न्याय क्षेत्र की समस्याओं, समाधान, ब एवम् उपलब्धियों का अध्ययन करना है ताकि समाज को सचेत करते हुये देश के हित मे शोषित वर्ग को एक आशा की किरण दिखायी जा सके। उनका जीवन एक साधारण परिवार में शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया। डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। इस अध्ययन में शोधार्थी ने डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारिता की वैकल्पिकीय दृष्टि का अध्ययन किया है। एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और पत्रकार के रूप में, उनकी पत्रकारिता ने भारतीय समाज में गहरे और स्थायी परिवर्तन की नींव रखी। उनकी पत्रकारिता केवल समाचारों का संकलन नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन थी, जिसने सदियों से चुप रहे लोगों को बोलने का साहस और मंच प्रदान किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य न केवल अंबेडकर की पत्रकारिता की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करना है, बल्कि यह भी दर्शाना है कि उनकी विरासत आज भी सामाजिक न्याय, समावेशी मीडिया और समानता की लड़ाई में प्रासंगिक है। उनकी पत्रकारिता ने दलित समुदायों को राष्ट्रीय मंच पर लाने का कार्य किया और यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई और सामाजिक सुधार एक–दूसरे के पूरक हैं, न कि परस्पर विरोधी। उनकी यह दृष्टि उनकी पत्रकारिता के प्रत्येक पहलू में झलकती थी, जिसने सामाजिक क्रांति की नींव रखी।

अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ आवाज :

डज्ञ0 अंबेडकर की पत्रकारिता सामाजिक न्याय की एक सशक्त मशाल थी, जिसने अस्पृश्यता और जातिवाद जैसी गहरी जड़ें जमाए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ निर्भीक आवाज उठाई। अंबेडकर की पत्रकारिता ने सामाजिक असमानता के मूल कारणों को तार्किक और भावनात्मक रूप से विश्लेषित किया, जिससे उनकी पत्रकारिता न केवल एक सामाजिक आंदोलन बनी, बल्कि एक वैचारिक क्रांति का प्रतीक भी बन गई। इस तरह के प्रगतिशील और साहसी विचारों ने न केवल सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी, बल्कि समाज में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक एकता के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी लेखनी में गहरी संवेदनशीलता और तार्किकता का समन्वय था, जो पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती थी कि अस्पृश्यता

केवल दलितों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक विफलता है। मूकनायक के शुरुआती अंकों में, अंबेडकर ने अस्पृश्यता को एक सामाजिक अभिशाप के रूप में चित्रित किया, जो न केवल दलितों को अपमानित करता था, बल्कि समाज के मानवीय और नैतिक मूल्यों को भी कमजोर करता था। उनके लेखों ने दलित समुदाय को आत्मसम्मान के साथ अपनी आवाज उठाने का साहस दिया और उच्च जातियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का अहसास कराया। उनकी यह पत्रकारिता केवल शिकायतों का मंच नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विचारधारा थी, जिसने समाज को बदलने का सपना देखा और उसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए।

अंबेडकर ने अपने लेखों में बार–बार इस बात पर जोर दिया कि बिना संगठन के सामाजिक बदलाव एक खोखला सपना है, और उनकी पत्रकारिता ने इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए। डज्ञ0 अंबेडकर ने मुख्यधारा के समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों की पक्षपातपूर्ण नीतियों की कड़ी आलोचना की। 1951 में एक बयान में, उन्होंने कहा कि भारतीय समाचार पत्र और समाचार एजेंसियाँ, जैसे असोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, उच्च जातियों के नियंत्रण में थीं और दलितों के मुद्दों को जानबूझकर दबाने का काम करती थीं। उनकी यह आलोचना उस समय के मीडिया की सच्चाई को उजागर करती थी और आज भी प्रासंगिक है। अंबेडकर की पत्रकारिता ने इस कमी को न केवल उजागर किया, बल्कि स्वतंत्र और समावेशी मीडिया की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इस तरह, अंबेडकर की पत्रकारिता ने सामाजिक जागरूकता को एक व्यापक और समावेशी स्वरूप प्रदान किया, जो समाज के सभी वंचित वर्गों को एकजुट करने का प्रयास करता था।

पत्रकारिता की बुनियादी भूमिका :

पत्रकारिता की एक बुनियादी भूमिका जनता को उन घटनाओं, मुद्दों और रूझानों के बारे में सूचित करना है जो उनके जीवन और समुदायों को प्रभावित करते हैं। पत्रकारिता को समाचारों और सूचनाओं को एकत्र करने, सत्यापित करने, विश्लेषण करने एवम् जनता के सामने प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य है कि जन रूचि के विषयों पर न्यायसंगत, यथार्थ और निष्पक्ष विधि से समाचारों, विचारों तथा अन्य जानकारियों को देकर लोगों की सेवा करना, ताकि लोगों को जानकारी देकर उन्हें शिक्षित किया जा सके, उन्हें जानकार व जागरूक बनाया जा सके। डॉ. अंबेडकर ने एक सपना देखा था कि प्रत्येक जन शिक्षित हो, जागरूक हो, यह उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। अपने इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिये उन्होंने अनेकों प्रयास किये। वे संत साहित्य के बड़े अभ्यासक थे। उन्होनें संत वांगमय की और कभी भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। उन्होनें संतो की नैतिक शिक्षा का विशेष रूप से समर्थन किया। उनको ऐसा लगता था कि संतो की नैतिक शिक्षा ही सामान्य जन के जीवन को नया आयाम दे सकती है। इससे ही समाज में क्रांति लायी जा सकती है। क्रांति ही समाज में बुनियादी परिवर्तन लाने का कारण होती है। इसीलिये उन्होंने कहा था कि संत साहित्य की नैतिक शिक्षा सामाजिक सद्भाव के लिये उपयुक्त है। डॉ. अंबेडकर ने अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिये संत साहित्य का तो अध्ययन किया ही था बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न संप्रदायों को भी जाना और उनके संपूर्ण साहित्य का भी अध्ययन किया। यही कारण है कि यह कहा जा सकता है कि डॉ. अंबेडकर की ज्ञान के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा थी और साहित्य के प्रति अटूट प्रेम था। डा0 अंबेडकर प्राचीन साहित्य को अध्ययन करने में बड़ी रूचि दिखाते थे। उन्होंने उस साहित्य के संबंध में अपनी राय भी व्यक्त की। वे आधुनिक मराठी साहित्य के साथ साथ नाटकों को भी पढ़ते थे। किंतु उस साहित्य के संबंध में उन्होंने अपनी कोई राय व्यक्त की है ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता।

निष्कर्ष :

डॉ. अंबेडकर ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अपने अति आधुनिक और मूल्यवान क्रांतिकारी विचारों को समाज के समक्ष रखा, और इस शस्त्र से अनेकों रूढ़ियों के विरूद्ध समाज की उन्नति के लिये समाचार पत्रों को सबसे अच्छा माध्यम बताया था। उन्होंने माना था कि समाज की सच्चाई सामने लाने के लिये समाचार पत्र से ज्यादा प्रभावशाली कोई माध्यम अथवा साधन नहीं है। एक पत्रकार के रूप में उनका लेखन व आचरण पत्रकार व पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिये एक आदर्श है। एक पत्रकार के रूप में ही उनकी पत्रकारिता

सामाजिक परिवर्तन का वाहक बन सकी। इसीलिये आज भी उनकी भूमिका एक पत्रकार के रूप में शाश्वत रूप से प्रासंगिक है। एक पत्रकार के रूप में यदि उनकी भूमिका को महती रूप से देखा जाये तो यह जाना जा सकता है कि डॉ. अंबेडकर की पत्रकारिता समाज के विकास का एक मुख्य साधन थी, जो कि समाज की उन रूढ़ियों के विरूद्ध थी जिनको कि समय के साथ बदलने की नितान्त आवश्यकता थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्रकारिता में जिन मुद्दों को प्रमुखता से स्थान दिया था, उसमें उन्होंने महिलाओं के उत्थान के साथ साथ, अल्पसंख्यकों, जाति प्रथा व अन्य पिछड़े वर्गों के आत्म सम्मान को सर्वोपरि रखा था। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सामान्य जनों तक अपनी बात को न सिर्फ पहुंचाया बल्कि तमाम आंदोलनों जैसे कि कालाराम मंदिर प्रवेश, पूना का समझौता, लंदन का गोलमेज सम्मेलन, नासिक का पार्वती मंदिर आंदोलन, महाड़ के तालाब का संघर्ष आदि में हिस्सा भी लिया। उनका मानना था कि सामाजिक वातावरण और राजनैतिक दर्शन एक दूसरे के अंतः अनुशासनात्मक हैं। ऐतिहासिक महत्व से परे, यह अध्ययन समकालीन मीडिया की सामाजिक सुधार को प्रभावित करने की क्षमता पर चिंतन को प्रेरित करता है। अम्बेडकर की विरासत हमें याद दिलाती है कि पत्रकारिता की शाक्ति सूचना देने, संगठित को जवाबदेह बनाने की उसकी क्षमा में निहित है। भारतीय संदर्भ में, उनके कार्य ने पत्रकारों की आने वाली पीढियों के लिए प्रेस को संवैधानिक साक्षरता और सामाजिक सक्रियता के एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- करीम. शबाना, डॉ. भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व एवम् विचार, (मेरठ : रवि पॉकेट बुक्स), पृ0 07–10
- बी. आर. अंबेडकर, 'लोकतन्त्र की कुछ समस्यायें', राईटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 3, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1987), पृ0 432–433 ।
- बी. आर. अंबेडकर, 'डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसायटीं', राईटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 5, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1989), पृ0 267–272 ।
- यंग, सी0 जी0 (1930). कलेक्टिव अनकॉन्सियस : ए0 कन्सेप्ट. जनरल ऑफ साइकोलाजी, 10 (2), 123 से 135.
- अंबेडकर, बी0 आर0 (1920). मूकनायक, मुबईः मूकनायक प्रकाशन।
- बी. आर. अंबेडकर, 'मूकनायक', लेखन और भाषण, खंड 2, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1982), पृ0 123–125 ।
- अम्बेडकर, बी. आर. (1936)। "द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट" ।
- बी. आर. अंबेडकर, 'बहिष्कृत भारत', लेखन और भाषण, खंड 12, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1993), पृ0 345–353 ।
- बहिष्कृत भारत (मुंबई : बहिष्कृत भारत प्रकाशन, 1927)।
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर, 'मनु स्मृति और वर्ण व्यवस्था', डॉ. बी आर अंबेडकर : लेखन और भाषण, खंड 3, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1987), पृ0 187–202।
- बी. आर. अंबेडकर, 'पत्रकारिता और सामाजिक क्रांति', डॉ. बाबा साहब अंबेडकर : लेखन और भाषण, खंड 1, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 79), पृ0 456–460 ।
- बी. आर. अंबेडकर, 'बौद्ध धर्म और प्रबुद्ध भारत', डॉ. बाबा साहब अंबेडकर : लेखन और भाषण, खंड 11, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1992), पृ0 234–241 ।
- "डॉ. बी0 आर अंबेडकर की पत्रकारिता : एक अध्ययन" (पीएच0 डी0, शोध प्रबंध, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2018)।
- "डॉ. बी0 आर अंबेडकर की पत्रकारिता में सामाजिक न्याय की अवधारणा" (पीएच0 डी0, शोध प्रबंध, मुंबई विश्वविद्यालय, 2012)।

- डी0 केलकर, " डॉ. बाबा साहब अंबेडकर : एक जीवनी" (मुबईः पापुलर प्रकाशन, 1991), पृ0 234–235।
- बी. आर. अंबेडकर, 'समता समाज संघ', डॉ. भीमराव अंबेडकर : लेखन और भाषण, खंड 5, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1989), पृ0 187–192 ।
- सी बी0 खोब्रागडे, "डा0 बाबा साहब अंबेडकर और भगवत् गीता की आलोचना" (मुबईः हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1990), पृ0 234–238।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर : लेखन और भाषण, खंड 4, (मुम्बई : गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1989), पृ0 187–192।
- अंबेडकर, बी0 आर0, (2012). डॉ. बी0 आर0 अंबेडकर : दलितों के अधिकारों के लिये संघर्ष, मुंबईः ग्रंथाली प्रकाशन, 156–170।